

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन)
विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-2(4) का संशोधन।
3. झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-2(6)(ii) का संशोधन।
4. झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-7 का संशोधन।
5. झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-12 का संशोधन।
6. झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-13 का संशोधन।
7. झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-14 का संशोधन।
8. झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-15 का संशोधन।
9. झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-16 का संशोधन।
10. झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-32 का संशोधन।
11. झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-34 का संशोधन।

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2012

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में झारखंड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

(1) संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ :-

- (i) यह अधिनियम "झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2012" कहा जा सकेगा।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। (गजट में प्रकाशन की तिथि)।

(2) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा 2 (4) का संशोधन :-

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा 2 की उपधारा 4 में "किसी प्रतिष्ठान में" के उपरांत तथा "उससे संबंधित वेतन" के मध्य 'सीधे या परोक्ष रूप' से शब्द अन्तर्स्थापित किए जायेंगे तथा "पुरस्कार या कमीशन" तथा "समेत भाड़े/मजदूरी" के मध्य "स्थायी, मासिक, संविदा, खण्ड दर या अन्य प्रकार से भुगतेय" शब्द अन्तर्स्थापित किये जायेंगे।

(3) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा 2 (6) (ii) का संशोधन :-

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-2 (6) के क्लॉज (ii) के परंतुक में निम्नलिखित शब्द अंतर्स्थापित किए जायेंगे।

(i) संस्थानों के निबंधन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत निबंधित संस्था या अन्य न्यास चाहे वह निबंधित हो अथवा नहीं, व्यवसाय, व्यापार, पेशा; वृत्ति या इससे संबंधित अनुषंगी सहायक कार्य, पत्रकारिता से जुड़े प्रतिष्ठान, टेकेदार तथा अंकेक्षकों के प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत लाभ के लिए चलाये जा रहे शैक्षणिक एवं अन्य संस्थान तथा वैसे परिसर जिनमें बैंक, बीमा स्टॉक एवं अंश दलाली या उत्पाद का विनियमन होता है।

(4) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-7 का संशोधन :-

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-7 की उप धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :-

(i) "कोई भी प्रतिष्ठान किसी भी दिन 8 बजे पूर्वाह्न के पूर्व एवं 10 बजे रात्रि के बाद खुला नहीं रहेगा।

(5) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा- 12 का संशोधन :-

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-12 की उप धारा (1), (2) एवं (3) एवं उप धारा (4) का केवल -परन्तुक" एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(6) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा- 13 का संशोधन :-

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 की धारा-13 में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "12 वर्ष से कम आयु के बच्चे" के स्थान पर "14 वर्ष से कम आयु के बच्चे" को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(7) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा- 14 का प्रतिस्थापन :-

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:-

"14 अल्पवयस्क व्यक्ति और महिलाएँ:- कोई भी अल्पवयस्क व्यक्ति अथवा महिला से किसी कर्मचारी या अन्य रूप में 8 बजे पूर्वाह्न से पहले या 10 बजे रात्रि के बाद कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी अथवा उसे स्वीकृति नहीं दी जायेगी"।

(8) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा- 15 का संशोधन :-

- i) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-15 की उप धारा (1) का खण्ड (क) एवं (ख) में प्रयुक्त शब्द "बच्चा अथवा" एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
- ii) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-15 (1) (क) (i) एतद् द्वारा निरसित की जाती है।
- iii) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-15 की उप धारा (2) एतद् द्वारा निरसित की जाती है।

(9) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-16 का प्रतिस्थापन :-

- i) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-16 की धारा (1) का खण्ड (i) एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।
- ii) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-16 की धारा (1) के खण्ड (ii) में प्रयुक्त शब्द "अन्य किसी मामले" एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(10) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-32 का संशोधन:-

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-32 में, शब्द "दो सौ पचास रुपये" को "पाँच हजार रुपये" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(11) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा- 34 का संशोधन:-

झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 (अंगीकृत) की धारा-34 में, शब्द "दो सौ पचास रुपये" को "पाँच सौ रुपये" तथा शब्द "पाँच सौ रुपये" को "दस हजार रुपये" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

यह विधेयक झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2012 दिनांक 4 सितम्बर, 2012 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 4 सितम्बर, 2012 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष ।

- (1) सभ्यता नाम विस्तार एवं प्राप्ति -
 (1) यह अधिनियम "झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2012" कहा जा सकेगा।
 (2) इस अधिनियम का अर्थ "संशोधन अधिनियम" में होगा।
- (2) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1983 (अधिनियम) की धारा 2 (4) का संशोधन -
 झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1983 (अधिनियम) की धारा 2 की उपधारा 4 में "जिस अधिनियम में" के उपरान्त शब्द "जिसमें संशोधित दुकान" के स्थान पर "जिसमें संशोधित दुकान" शब्द प्रयुक्त हैं या "जिसमें संशोधित दुकान" शब्द प्रयुक्त हैं या "जिसमें संशोधित दुकान" शब्द प्रयुक्त हैं" के स्थान पर "जिसमें संशोधित दुकान" शब्द प्रयुक्त हैं" शब्द प्रयुक्त हैं।
- (3) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1983 (अधिनियम) की धारा 2 (4) (ii) का संशोधन -
 झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1983 (अधिनियम) की धारा 2 (4) (ii) के अन्तर्गत (ii) के अन्तर्गत "जिसमें संशोधित दुकान" शब्द प्रयुक्त हैं या "जिसमें संशोधित दुकान" शब्द प्रयुक्त हैं" के स्थान पर "जिसमें संशोधित दुकान" शब्द प्रयुक्त हैं" शब्द प्रयुक्त हैं।
- (4) झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1983 (अधिनियम) की धारा 7 का संशोधन -
 झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1983 (अधिनियम) की धारा 7 की धारा (1) में "जिसमें संशोधित दुकान" शब्द प्रयुक्त हैं या "जिसमें संशोधित दुकान" शब्द प्रयुक्त हैं" के स्थान पर "जिसमें संशोधित दुकान" शब्द प्रयुक्त हैं" शब्द प्रयुक्त हैं।